न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 148/2019/दावा

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति जाट निवासी तिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। —वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार/भूमिधारक जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर —प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड संशोधन

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य — दिनांक — 27.12.2019

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 773 रकबा 2.21 है0, ख0नं0 774 रकबा 2.02 है0, ख0नं0 775 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 785 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 786 रकबा 2.72 है0 किता 5 कुल रकबा 7.82 है0 तन ग्राम तिलोकपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी व उसके भाई विजेन्द्र का 0.80 है0 हक हिस्सा है तथा वादी व उसके भाई विजेन्द्र के नाम सें राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में सुरेन्द्र कुमार की जगह सुरेश के नाम सें दर्ज है। वादी ने उक्त भूमियों को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06.03.1999 को क्रय किया था। उस समय वादी नाबालिग था। जिसका विक्रय पत्र वादी के पिता ने करवाया था। संहवन सें वादी के पिता ने विक्रय पत्र में वादी का नाम सुरेश लिखवा दिया। वादी के पिता अशिक्षित ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिन्होने वादी का नाम सुरेन्द्र कुमार की जगह सुरेश लिखवा दिया। विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम नामांतरण भर दिया गया। वादी का असली नाम सुरेन्द्र कुमार है। वादी सुरेन्द्र कुमार के नाम सें आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचानपत्र, माध्यमिक शिक्षा बार्ड राजस्थान की मार्कशीट में भी वादी का नाम सुरेन्द्र कुमार दर्ज है तथा ग्राम पंचायत सुजावास के सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी सुरेश का नाम सुरेन्द्र कुमार है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो गया है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में सुरेन्द्र कुमार दर्ज है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम सुरेन्द्र कुमार उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 773 रकबा 2.21 है0, ख0नं0 774 रकबा 2.02 है0, ख0नं0 775 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 785 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 786 रकबा 2.72 है0 किता 5 कुल रकबा 7.82 है0 तन ग्राम तिलोकपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का सही व वास्तविक नाम सुरेन्द्र कुमार उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम सुरेश कुमार के स्थान पर वादी का सही नाम सुरेन्द्र कुमार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन के आदेश प्रदान किये जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी तथा साक्षी के शपथ पत्र पेश किये गये। विवादित भूमियों में सहखातेदार व प्रार्थी के सगे भाई विजेन्द्र कुमार के बयानात लिये गये जिनमें सहखातेदार ने वादी का राजस्व रिकॉर्ड में सुरेश कुमार के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार दर्ज करने पर अनापत्ति व्यक्त की। वादपत्र पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. वकील वादी बहस की पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। साक्ष्यों पर गौर किया गया। चूंकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेजों में एकरूप नहीं है। **सरपंच ग्राम पंचायत रोयल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड तथा अन्य पहचान दस्तावेजों के अवलोकन सें स्पष्ट है कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर सुरेश पुत्र मोहन के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र मोहन दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम तिलोकपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 773 रकबा 2.21 है0, ख0नं0 774 रकबा 2.02 है0, ख0नं0 775 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 785 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 786 रकबा 2.72 है0 किता 5 कुल रकबा 7.82 हैक्टेयर में खातेदार सुरेश पुत्र मोहन के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र मोहन दर्ज करने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है।** शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। **डिक्री जारी हो।** तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

सुरेन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 148/दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 27.12. 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री हरदेवाराम सुण्डा** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा ग्राम तिलोकपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 773 रकबा 2.21 है0, ख0नं0 774 रकबा 2.02 है0, ख0नं0 775 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 785 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 786 रकबा 2.72 है0 किता 5 कुल रकबा 7.82 हैक्टेयर में खातेदार सुरेश पुत्र मोहन के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र मोहन दर्ज करने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.12.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत, ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner